कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क / एफ–166 / स्टे.आयु. / 2020–21 / 3705 भिलाई, दिनांक 28/12/2020

// आदेश //

छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क. 6012 / 4829 / 2020 / 18 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25 नवंबर द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु पारित संविदाओं में निविदा दर की राशि कम प्राप्त होने से बचत हुई राशि का जनहित के कार्यो में उपयोग करने की स्वीकृति करने हेतु नगर निगमों की मेयर इन कौंसिल को निम्नानुसार शर्तों के अधीन अधिकृत किया गया हैं :–

1. बचत राशि का उपयोग यथा संभव स्वीकृत कार्य अथवा समान प्रकृति के अनुमत्य कार्य में ही किया जावें।
2. बचत राशि का उपयोग जिस कार्य हेतु प्रस्तावित हो, उसकी तकनीकी स्वीकृति / प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः प्राप्त किया जावे।
3. बचत राशि का उपयोग योजनावार किया जावे, जिससे मद परिवर्तन न हो सके। उदाहरण स्वरूप राज्य प्रवर्तित योजनाओं की राशि का उपयोग अधोसंरचना मद में न किया जावे।
4. बचत राशि से केवल स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य संपादित किये जा सकेंगे। सामग्री कय पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

उक्त आदेश अनुसार बचत राशि से जितने कार्य की स्वीकृति की जायेगी उसकी पृथक से पंजी संधारित किया जावें एवं किस – किस कार्य की बचत राशि से स्वीकृति नवीन कार्यो की दी जावेगी उसका लेखा जोखा पृथक पंजी एवं आवश्यक अभिलेख संधारित करना सुनिश्चित करें।

(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क. / स्टे.आयु. / एफ–166 / 2020–21 / 3706 भिलाई, दिनांक 28/12/2020

प्रतिलिपिः–

1. महापौर / अध्यक्ष महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त / कार्यपालन अभियंता, जोन –1,2,3,4 एवं 5, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख ....
   नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई